न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

तारीख दायरा

मि0 न0 92/2019

06.08.2019

तारीख फैसला 18.12.2022

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

रामगोपाल आत्मज धन्ना लाल जाति मीणा निवासी जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बांरा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री गिरिराज प्रसाद मीणा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी व उसके भ्रातओं के कब्जे काश्त व खाते की वाके ग्राम खेरूला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 221 की 0.79 है0, 227/1 की 1.91 है0, 278/1 की 0.52 है0, 404/1 की 0.29 है0, 405 की 0.41 है0, 467/1 की 0.25 है0, 536/1 की 0.02 है0, 537 की 0.02 है0 कुल किता 8 रकबा 4.21 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता धन्नालाल जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी। जो विरासत में प्राप्त हुई है। यह कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल दर्ज किया हुआ है। जबकि वादी का पूरा नाम रामगोपाल दर्ज किया हुआ है। वादी के वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक आदि में वादी का नाम रामगोपाल के स्थान पर गोपाल गलत रूप से अंकित हो गया। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल के स्थान पर रामगोपाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 14.06.2019 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया । जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम खेरूला की उक्त भूमि कुल किता 8 रकबा 4.21 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल के स्थान पर रामगोपाल दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम गोपाल के स्थान पर रामगोपाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खेरूला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 221 की 0.79 है0, 227/1 की 1.91 है0, 278/1 की 0.52 है0, 404/1 की 0.29 है0, 405 की 0.41 है0, 467/1 की 0.25 है0, 536/1 की 0.02 है0, 537 की 0.02 है0 कुल किता 8 रकबा 4.21 है0 भूमि में वादी का नाम गोपाल के स्थान पर रामगोपाल किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned with OKEN Scanner